

12
3-25

पत्रावली पेश हुई। वादी आग्रिभाषक अनुपाधित
वादी भी अनुपाधित। तीन बार रुक-रुक कर
आवाज लगाई गई, लेकिन कोई भी उपाधित
तबी हुआ। अतः प्रकरण को अन्तर्गत आदेश
9 R S CPC अदम हाजरी अदम धरवी मे
स्वास्ति किया जाता है। पत्रावली फौजल शुमार
होकर तम्बर से कम होकर बाद तामिल तल्लगील
शाखिल दफ्तर हो।



[Signature]
03/12/25

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड (राज.)

